



न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक 341/18 तारीख रजू 16/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का दीडिया बनाम  
पुत्र श्रीरंजना जाति माली निवासी दीडिया कालजी तहसील

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 8/3/18

अब यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि  
जबकि श्री धरमद, माल, गाल, पालना ग्राम दीडिया को भूमि ख.न. 838 रकबा 0.02  
किस्म गोकुलास्ता फसल रबि / खरीफ संवत 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया  
है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
टर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित  
आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में  
उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट  
पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.02  
किस्म गोकुलास्ता वाके ग्राम दीडिया से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित  
भूमि के वार्षिक लगान का 0.88 भा 50 गुणा 442/- शस्ति से दण्डित किया जाता है।  
तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा  
भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश  
जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।  
पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर न/घ नं. पेश नं. 65 पर  
वर्ष 2017-18 की राशि तारीख 4/4/18  
की जमा राशि का पेश  
दिनांक 8/3/18 तहसील लेखाकार  
तहसील-महवा